संख्या: 5/2023 /503 ई-2/तेरह-2023-229956

प्रेषक,

राकेश कुमार सचान
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 03 मार्च ,2023

विषयः-मे. त्रिवेणी इंजीनियरिंग एवं इण्डस्ट्रीज लि., मुजफ्फरनगर को आसवनी में स्थापित किये गये 60 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता के पृथक ग्रेन प्लान्ट से 75 प्रतिशत अर्थात् 157.50 लाख लीटर वार्षिक अब्सोल्यूट अल्कोहल एवं 25 प्रतिशत अर्थात् 52.50 लाख लीटर वार्षिक ई.एन.ए. उत्पादन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्याः-जी-297/दो-प्रा.डी.-111, दिनांक 08-02-2023 तथा इस सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव, आबकारी विभाग, उ.प्र.शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 28-02-2023 में लिए गए निर्णय सम्बन्धी कार्यवृत्त संख्या-483ई-2/तेरह-2023-229956, दिनांक 01-03-2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 08-02-2023 में आप द्वारा की गयी संस्तुति/प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त भारत सरकार के एथेनॉल ब्लेन्डिग प्रोग्राम (ई.बी.पी.) की प्राथमिकता के अन्तर्गत 20% एथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य प्राप्त किये जाने के दृष्टिगत मे. त्रिवेणी इंजीनियरिंग एवं इण्डस्ट्रीज लि., मुजफ्फरनगर को आसवनी की सी-हैवी शीरे पर आधारित क्षमता 160 कि.ली. प्रतिदिन से बढ़ाकर सी-हैवी शीरे एवं ग्रेन पर आधारित 220 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात वर्ष में 350 कार्य दिवस के आधार पर 560 लाख लीटर वार्षिक से बढ़ाकर 770 लाख लीटर वार्षिक किये जाने हेतु स्थापित किये गये 60 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता के पृथक ग्रेन प्लान्ट से 50-50 प्रतिशत अर्थात वर्ष में 105 लाख ब.ली. अब्सोल्यूट अल्कोहल एवं 105 लाख ब.ली. ई.एन.ए. का उत्पादन किये जाने की कतिपय शर्तों के अधीन प्रदान की गयी अनुमति में संशोधन करते हुये आसवनी की सी-हैवी शीरे पर आधारित क्षमता 160 कि.ली. प्रतिदिन से बढ़ाकर सी-हैवी शीरे एवं ग्रेन पर आधारित 220 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात वर्ष में 350 कार्य दिवस के आधार पर 560 लाख लीटर

वार्षिक से बढ़ाकर 770 लाख लीटर वार्षिक किये जाने हेतु स्थापित किये गये 60 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता के पृथक ग्रेन प्लान्ट से वर्ष में 75 प्रतिशत अर्थात् 157.50 लाख लीटर अब्सोल्यूट अल्कोहल एवं 25 प्रतिशत अर्थात् 52.50 लाख लीटर ई.एन.ए. उत्पादन किये जाने की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि आसवनी द्वारा निम्नलिखित शर्तों का अक्षरशः पालन करते हुये उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा:-

(1) प्रश्नगत आसवनी ग्रेन से ई.एन.ए. के साथ-साथ अब्सोल्यूट अल्कोहल निर्माण किये जाने हेतु नियमानुसार भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का इन्वायरमेन्टल क्लीयरेन्स एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य विभागों से सुसंगत अधिनियमों/नियमों के अन्तर्गत अनापत्ति/अनुज्ञा प्लान्ट चलाये जाने से पूर्व प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

(2) ग्रेन से एथनॉल उत्पादन किये जाने हेतु इकाई द्वारा उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में प्रयोग में लाये जाने वाले अनाज व अन्य पदार्थों की आपूर्ति को सुगम करने व अंतर्विभागीय सामंजस्य स्थापित करने एवं उत्पादनकर्ताओं की कठिनाईयों को संज्ञान लेकर उन्हें दूर किये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 26-03-2021 के प्रस्तर-3(4)(छ) में उल्लिखित व्यवस्थानुसार मुख्य सचिव, उ.प्र.शासन की अध्यक्षता में गठित स्टीयरिंग कमेटी द्वारा निर्णय लिया जायेगा। उक्तानुसार अनाज व अन्य पदार्थों की आपूर्ति के परिप्रेक्ष्य में स्टीयरिंग कमेटी द्वारा यथास्थिति मानव उपयोग व पशु उपयोग हेतु वांछित अनाज व अन्य पदार्थों की प्रदेश की वार्षिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन प्रश्नगत इकाई को करना होगा।

(3) उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 22-06-2022 में उल्लिखित नियम व शर्तें।

(4) इकाई द्वारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) प्रकरण में अग्रतर कार्यवाही करने से पूर्व आबकारी आयुक्त, उ.प्र. द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इकाई पर अद्यतन कोई राजस्व देयता/बकाया नहीं है।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राकेश कुमार सचान)
प्रमुख सचिव।

Signed by राकेश कुमार
Date: 03-04-2023 18:28:26
Reason: Approved